



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu3@gmail.com

क्रमांक : 471 /अका./2023

रायपुर, दिनांक : 24 /08/2023

## II अधिसूचना II

COVID-19 संक्रमण की स्थिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य शासन के आदेशों में उल्लेखित मानदंडों के परिपालन में विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2020 तदुपरांत छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-8/2020/38-2 दिनांक 09.09.2020 में प्राप्त अनुमोदन अनुसार अध्यादेश क्रमांक 5 में दिनांक 09.09.2020 से प्रभावशील करते हुए अंगीकृत किया जा चुका है। उक्त अवधि में अपरिहार्य कारणों से अधिसूचित नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-5 **Conduct of Examinations** में निम्नानुसार नवीन प्रावधान अधिसूचित किया जाता है -

क्र.	अध्यादेश क्रमांक	वर्तमान में प्रचलित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/नवीन प्रावधान
1	Ordinance No. 5	Para-22- Nil	22 In the event of exigency due to pandemic/national calamity, the Executive Council shall have power to temporary supersede the relevant provisions of this and other ordinances that govern the academic terms and conduct of examinations, by making regulation after due consultation with Academic Council and following the guidelines of UGC and State Government issued for this purpose from time to time.

आदेशानुसार,

*S. Patel*  
24/8/23  
कुलसचिव

पु.क्रमांक : 472 /अका./2023

रायपुर, दिनांक : 24 /08/2023

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
  02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
  03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
  04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
  05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
  06. समस्त विभागीय अधिकारी,
  07. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*S. Patel*  
उप-कुलसचिव (अका.)